हुक्म की
में जार

आते ही प्रार्थीगण के मना करने के बावजूद उक्त आराजी में बिना किसी कानूनी हकूकों के नींव खोदना शुरू कर दिया गया। मना करने पर आमादा फिसाद हो गये। इसलिए प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के जरिये अस्थायी निशेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने अपना स्वयं का शपथ पत्र एवं फोटोकॉपी जमाबंदी पेश की है।

वकील प्रार्थीगण को एकपक्षीय सुना गया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार प्रार्थीगण विवादित आराजी के संयक्त खातेदार दर्ज रिकार्ड है जिसमें इनका हित निहित है। अतः वर्णित तथ्यों से प्रथम दृष्ट्या आश्वस्त हो अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक के लिए जरिये अस्थायी निशेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थीगण संयुक्त खातेदारी की आराजी खसरा नं0 1889/522 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम कुडगांव तहसील सपोटरा के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं विधिवत बंटवारा होने तक किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नही करे। आदेश जारी हो। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 24.03.2021 को पेश हो

24/3/21 प्रार्थीगण
वकील ~~[illegible]~~ उप०/SDO साहब दौरा कार्यों में व्यस्त है। पूर्वानुसार दि. 24/4/21 को पेश है।

26/4/21 प्रार्थीगण
वकील ~~[illegible]~~ उप०/SDO साहब दौरा कार्यों में व्यस्त है। पूर्वानुसार दि. 21/6/21 को पेश है।

21/6/21 Covid-19
~~[illegible]~~ के कारण पूर्वानुसार तलबी तारीख 21/8/21 को पेश हो।

7/8/21 प्रार्थीगण
वकील ~~[illegible]~~ उप०/SDO साहब दौरा कार्यों में व्यस्त है। पूर्वानुसार दि. 21/9/21 को पेश हो।

17/11/21 पत्रावली आज तिसरे तलब बाद पेश हुई। वकील प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण ने प्रार्थना किया कि निवेदन किया है कि हम प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के आपस में राजीनामा हो गया है अप्रार्थीगण के विरुद्ध कोई दावा नही चाहते अतः अप्रार्थीगण को रिहा फरमाया जावे। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण रद्द किया जाता है। पत्रावली पेस्ट थुम्ब होकर दाखिल दफ्तर हो।

Scanned with CamScanner